

## राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 48वीं बैठक दिनांक 24 फरवरी 2014 का कार्यवृत्त

डा. इंदिरा हृदयेश, मा. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार

1- प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा के कारण पहाड़ों की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। वहाँ के लोगों को पुनः अपने पैरों पर खड़ा करने में सबसे अधिक सहायता बैंकों की ओर से होनी चाहिए। बैंक से लिये गये ऋणों पर एक साल के बजाय दो वर्ष तक ब्याज में छूट दी जानी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा भारत सरकार वित्त मंत्रालय की ओर पहल के लिये प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। कैबिनेट की लगभग पांच बैठकों में यह मुद्दा उठा है कि बैंक ऋण धारकों को ब्याज जमा करने के लिए नोटिस भेज रहे हैं, जिससे उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में बैंकों को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनके द्वारा ऋणियों को एक वर्ष तक किसी भी प्रकार के नोटिस नहीं भेजे जाने चाहिए। आरबीआई और बैंकों के उच्च अधिकारियों को यह देखना होगा कि संबंधित बैंक अधिकारियों द्वारा ऋण वसूली के लिए किसी भी तरह का दबाव न बनाया जाए।

2- राज्य का ऋण-जमा अनुपात 60% से ऊपर है फिर भी मैदानी जिले, देहरादून व हरिद्वार का सी.डी. रेशियो अपेक्षाकृत कम है, जिसे बढ़ाना होगा। हरिद्वार में तीन करोड़ से अधिक पर्यटक आते हैं बावजूद इसके वहां का सीडी रेशियो कम होना चिंता का विषय है। बैंकों द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रवासियों को एक लाख रुपये तक के ऋण को बिना किसी सेक्योरिटी के प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए।

3- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विकलांगों को इसके तहत बैंक ऋणों पर 50 % सब्सिडी दी जायेगी। आपदा प्रभावित चार पर्वतीय जिलों में इस योजना से बड़ी राहत पहुंचायी जा सकती है। बैंकों को ऋण देने के लिए ग्राहकों को चक्कर लगवाने की प्रवृत्ति से बाहर आना होगा।

4- हमें बताया गया है कि बैंकों ने अब तक 80 % पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जा चुके हैं, इसे बढ़ा कर 100 % करना होगा। कृषि विभाग की ओर से आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए शासन स्तर पर निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। वित्तीय समावेशन की दिशा में भी किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है।

डा अनूप बधावन, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

1-भारत सरकार ने, उत्तराखंड राज्य में आयी आपदा की वजह से हुये नुक्सान का आंकलन कई स्तर पर किया है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार को हर प्रकार की सहायता देने को तैयार है। वित्त मंत्री, उत्तराखंड ने आपदा से जुड़े जिन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। बैंकों द्वारा ऋण वसूली पर दबाव न बनाये जाने के लिये वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सभी बैंकों के अध्यक्ष / सीएमडी को पत्र प्रेषित किया जाएगा।

2- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी विभाग, ब्लाक स्तर के कार्यालय एवं बैंक आपस में समन्वय कर प्राइऑरिटी सेक्टर की योजनाओं के क्रियान्वयन में तीव्रता लायें। बैंकों को प्राइऑरिटी सेक्टर को घाटे का सौदा न समझ कर अपनी अप्रोच को और अधिक व्यक्तिगत एवं सहानुभूतिपूर्ण बनाना चाहिए। ऋण धारक निश्चित रूप से पैसा वापस करेगा। इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थियों का चयन उचित ढंग से किया जाए।

3- माइक्रोफानेसिंग के क्षेत्र में बैंक अधिक रूचि नहीं ले रहे हैं। जबकि जमीनी स्तर पर आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बैंकों की इस शिथिलता की शिकायत सभी बैंकों के चेयमैन को वित्त मंत्रालय की ओर से पत्र भेज कर की जाएगी।

4- डायरेक्ट ट्रांसफर योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते खोला जाना आवश्यक है। संबंधित विभाग अपने लाभार्थियों की सूची बैंकों को उपलब्ध कराए ताकि यदि किसी लाभार्थी का बैंक खाता नहीं खुला हो तो उसे खुलवाकर उनके आधार नंबर की सीडिंग किया जा सके। राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह एक अभियान के तहत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में पांच वर्ष की आयु से अधिक के सभी नागरिकों को रजिस्टर में दर्ज कराने का कार्य शीघ्र पूरा करे। बैंकों द्वारा बी0एस0एन0एल0 से बैंकिंग सुविधारहित गाँवों में ब्रॉड बैंड / वाई-मैक्स कनेक्टिविटी की मांग की गई है वहां पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु बी0एस0एन0एल0 शीघ्र कार्रवाई करे।

श्री अरिजीत बासु, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली

1- दिसम्बर 2013 त्रैमास के दौरान सभी बैंकों का डाटा विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि अग्रिमों में ₹ 6166 करोड़ की वृद्धि हुई है जबकि जमाओं में मात्र ₹ 1975 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि दिसम्बर ,2013 में राज्य का सी0डी0 रेश्यो 61% दर्ज किया गया है। यदि हम नाबार्ड के आर0आई0डी0एफ0 को भी जोड़ दें ,तो ये 65% तक पहुँच जायेगा।

2- बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार दर्ज करने हेतु एन0आई0सी0, उत्तराखंड द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है परंतु अभी इसे आरम्भ नहीं किया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इसके कार्यान्वयन हेतु और सभी बैंकों को User ID & Password जारी करने हेतु आवश्यक कदम उठाये। यह बैंकों को ऑन-लाइन प्रभार को नोट करने में समर्थ करेगा और ग्रामीण कार्यालयों से विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करने की ट्रॉनजेक्शन कॉस्ट को कम करने में सहायक होगा। इसके साथ इससे बहुवितीय ऋणों से भी बचा जा सकेगा।

3- राज्य सरकार की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत स्वीकृत ऋण के आवेदकों को कृषि योग्य भूमि को वाणिज्यिक प्रयोग ,जिस पर होटल निर्माण का कार्य किया जाना है में परिवर्तन करवाने में परेशानी आ रही है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि कृषि योग्य भूमि को वाणिज्यिक प्रयोग भूमि में परिवर्तन हेतु जारी अध्यादेश मे समुचित संशोधन किया जाये /जी0ओ0 जारी किया जाए।

4- के0वी0आई0सी0 एवं उद्योग निदेशालय द्वारा बैंक शाखाओं को पी0एम0ई0जी0पी 0के आवेदन ऑन-लाइन प्रक्रिया से भेजने शुरु कर दिये हैं। विभाग से अनुरोध है कि बैंक नियंत्रकों / एस0एल0बी0सी 0को भी User ID & Password उपलब्ध कराये ताकि वे ई-ट्रेकिंग के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों की उचित निगरानी कर सके।

5- **Financial Inclusion Plan** को लागू करने के लिये **BSNL Connectivity** नितांत आवश्यक है। इस संबंध में ,एस0एल0बी0सी0 द्वारा 10437 बैंक सेवारहित गाँवों की सूची पूर्व में ही बी0एस0एन0एल0 को उपलब्ध करायी जा चुकी है। इस संबंध में बी0एस0एन0एल0 से पुनः अनुरोध है कि वे ऐसे गाँवों जहाँ बी0एस0एन0एल0 की ब्रॉड बैण्ड / वाई0मैक्स कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ इसे शीघ्र पहुँचाया जाये।

श्री आर.एल. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक , भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून

1- सभी बैंकों द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के ऋण खातों में एक साल का मॉरीटोरियम पिरियड का लाभ दिया गया है और कई बैंकों ने इसे एक साल से अधिक के लिए भी रीस्ट्रक्चर किया है जोकि सराहनीय है। ऋण धारकों को नोटिस दिए जाने के दो चार मामले सामने आए थे, जिन्हें बैंकों से वार्ता कर सुलझा लिया गया है।

2- प्रदेश का सी.डी. रेशियो 60 % से अधिक बढ़ाने के लिए बैंकों को तेज गति से कार्य करना होगा।

3- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकों द्वारा सुदूर इलाकों में बिजनेस कारेस्पॉण्डेंट के बजाए शाखाएं खोली जानी चाहिए, क्योंकि कारेस्पॉण्डेंट इतना बड़ा क्षेत्र कवर नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के अंतर्गत राज्य के तीन चयनित जिलों में से बागेश्वर जिला डी0बी0टी0 के लाभार्थियों के शत प्रतिशत खाता खोलने के अभियान में पीछे है, जिस ओर बैंकों को विशेष ध्यान देना होगा।

4- एफआईपी के रोड मैप का अनुपालन करना तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इस दिशा में जल्द ही सभी बैंकों के नियंत्रकों की बैठक बुलायी जाएगी।

श्री एस. सिल्वाराज, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून

1- आपदा प्रभावितों को उनके बैंक ऋणों पर ब्याज में छूट दिए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस दिशा में कमर्शियल बैंकों से भी वार्ता चल रही है। परंतु आगामी चुनावों से पहले इसे कर लिया जाए तो अच्छा होगा।

2- वित्तीय समावेशन योजना केवल आर.आर.बी. और कर्मिश्यल बैंकों के लिए नहीं है, अब नई व्यवस्था के तहत कोऑपरेटिव बैंक को भी इसमें शामिल किये जाने के आदेश हो चुके हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक भी अपने खाता धारकों को केसीसी, डेबिट कार्ड, एसएचजी व जेएलजी लिंकेज प्रदान कर सकते हैं, 50% से अधिक कृषि ऋण कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा ही दिया जा रहा है।

3- 61 % सीडी रेशियो का आंकड़ा प्राप्त करना खुशी की बात है पर यह बहुत दिनों तक नहीं रह सकता क्योंकि अभी रिकवरी नहीं की जा रही है इसलिए आउटस्टैंडिंग बढ़ गई है इसलिये सी.डी. रेशियो बढ़ा दिख रहा है। हकीकत में यह 54% के आस पास है। सीडी रेशियो को वास्तविक रूप से बढ़ाने के लिए बैंकों को अपने ऋण प्रवाह को बढ़ाना होगा। शाखाओं में जाकर इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां दिल्ली के बैंकों ने अल्मोड़ा तथा सोमेश्वर में हजार करोड़ से ज्यादा लागत का प्रोजेक्ट फाइनेंस किया है। देहरादून में सीडी रेशियो कम होने का कारण डिपॉजिट अधिक होना है। बैंकों को चाहिए कि अधिक से अधिक एस.एच.जी. व जे.एल.जी. को फाइनेंस करें नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रदेश में 13000 एसएचजी स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक जिले में एक हजार से अधिक एस.एच.जी. स्वीकृत किए जाएंगे। बैंक आगे आकर इन एसएचजी को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराएं। भारत सरकार की योजना के तहत चमोली और टिहरी में महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृति दी गई है। यहां पर दो हजार ग्रुप तैयार हो गए हैं जिसमें एक हजार ग्रुप का बैंक क्रेडिट लिंकेज भी कर दिया है। नाबार्ड ने सीडी रेशियो को बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश के लिए योजना तैयार कर दी है।

4- राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा रु0 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों को कृषि ऋणों की भाँति “स्टॉम्प शुल्क” से विमुक्त रखने की अधिसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि अधिकतर एस.एच.जी. गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित किये जाते हैं और इस हेतु प्राप्त बैंक ऋण राशि का उपयोग कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिये किया जाता है।

\*\*\*\*\*